**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1827**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश**

**1827. श्री राजमणि पटेलः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या देश में विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी दोनों का प्राथमिकता आधार पर उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या विदेशी औद्योगिक प्रौद्योगिकी अक्सर श्रम गहनता के स्थान पर पूंजी गहनता वाली प्रौद्योगिकी है, जो रोजगार उत्पन्न करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (घ):** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आर्थिक विकास का एक प्रमुख संचालक है और भारत के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक स्रोत है। एफडीआई अंतर्वाह घरेलू पूंजी को बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सहायता करता है। सरकार का प्रयास एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू करने का रहा है। सरकार निरंतर आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और समय-समय पर एफडीआई नीति व्‍यवस्‍था में बदलाव किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत उत्तरोत्तर आकर्षक और निवेशक-अनुकूल निवेश स्‍थल बना रहे।

एफडीआई के माध्यम से देश में लाई गई प्रौद्योगिकी प्रमुख रूप से विदेशी निवेशकों के निजी व्यापार निर्णय का विषय है। तथापि, देश में लाई गई प्रौद्योगिकी के स्‍वरूप संबंधी कोई सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

\*\*\*\*\*